उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-111/2015/आर-3315/26-33-2015-4(2)12टी.सी.

लखनऊः दिनांकः 05 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

जिलाधिकारी, हाथरस के पत्रांक-906-08/स.क./महाविद्यालय/2012-13, दिनांक-01.01.2013 एवं पत्रांक-76-78/स.क./शुल्क-छात्रवृत्ति/2013-14, दिनांक-01.05.2013 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-1269/26-3-2013-4(2)/2012,दि0-11.11.2013 द्वारा जनपद-हाथरस की निम्नलिखित 10 शिक्षण संस्थाओं को 'ब्लैक लिस्ट' करते हुए प्रकरण की आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन से जॉच कराने का निर्णय लिया गयाः-

(1)- श्री विजेन्द्र जनता पी0जी0कालेज, विसावर, हाथरस।
(2)- आर0पी0कन्या महाविद्यालय, बुढाईच जलेसर रोड, हाथरस।
(3)- श्रीमती राजारानी महाविद्यालय, जुलाहपुर, हाथरस।
(4)- श्री कृष्ण योगी राज डिग्री कालेज, रतिभानपुर, हाथरस।
(5)- श्रीमती लौंगश्री महाविद्यालय, नगला आल, हाथरस।
(6)- श्रीकृष्ण योगीराज टेक्निकल इन्स्टीट्यूट हाथरस।
(7)- के0जी0एन0डिग्री कालेज सिकन्दरा मऊ हाथरस।
(8)-- भूदेबी खुशालीराम महाविद्यालय, हसायन, हाथरस।
(9)- एस0डी0एजूकेशनल जलेसररोड़ हाथरस
(10)- आर0पी0आई0टी0सी0 बुढाइच जलेसर रोड़ हाथरस।

2- उक्त शिक्षण संस्थाओं में से श्रीमती लौंगश्री महाविद्यालय, नगला आल, हाथरस द्वारा शासन के उक्त आदेश दिनांक-11.11.2013 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-218/2014 श्रीमती लौंगश्री महाविद्यालय, नगला आल, हाथरस बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-22.01.2014 को पारित आदेश में शासन के उक्त आदेश दिनांक-11.11.2013 को Set-aside करते हुये याचिका Disposed off की गयी। उक्त के क्रम में याची शिक्षण संस्था ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक-07.05.2014 द्वारा मा0उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध कराते हुये अपनी शिक्षण संस्था को 'ब्लैक लिस्ट' से मुक्त किये जाने की मांग की गयी।

3- याची शिक्षण संस्था के उक्त प्रत्यावेदन के माध्यम से प्राप्त मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का संज्ञान लेते हुये शासन के पत्र दिनांक-14.10.2014 द्वारा जनपद-हाथरस की सभी 10 शिक्षण संस्थाओं को कारण बताओं नोटिस करते हुये जबाब/उत्तर मांगा गया था। तत्क्रम में याची शिक्षण संस्था के साथ 04 अन्य शिक्षण संस्थाओं का उत्तर शासन को दिनांक-28.11.2014 तक प्राप्त हुआ शेष 06 अन्य शिक्षण संस्थाओं का कोई उत्तर/अभिकथन शासन को प्राप्त नहीं हुआ।

4- इस मध्य दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अनियमितता बरतने पर दोषी शिक्षण संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही (एफ.आइ.आर., ब्लैक लिस्ट किये जाना, मान्यता निरस्त कराने, धनराशि की वसूली इत्यादि) किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से निर्गत शासनादेश दिनांक-03.12.2014 में प्रक्रिया निर्धारित करते हुये निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय समिति का गठन हो जाने के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या-2044/26-3-2014-4(2)/12 टी.सी., दिनांक-29.12.2014 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

याची शिक्षण संस्था एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं के उत्तर/अभिकथन तथा अन्य सुंसगत अभिलेखों को प्रकरण में निर्णय हेतु निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर गठित समिति को सन्दर्भित किया गया।

5- मा0उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-22.01.2014 का ससमय अनुपालन न होने पर याची शिक्षण संस्था द्वारा अवमानना याचिका संख्या-4521/2015 श्रीमती लौंगश्री देवी पी0जी0 कालेज, हाथरस बनाम श्री सुनील कुमार, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन योजित की गयी। उक्त अवमानना याचिका में पारित आदेश दिनांक-31.07.2015 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-99/2015/3097/26-3-2015-4(2)/12 टी.सी., दिनांक-10.09.2015 द्वारा जनपद-हाथरस की 10 शिक्षण संस्थाओं को 'ब्लैक लिस्ट' किये गये सम्बन्धी शासन के आदेश दिनांक-11.11.2013 को तात्कालिक प्रभाव से अपास्त (Set aside) किया गया तथा शासन द्वारा निदेशालय की समिति को निर्देशित किया गया कि जनपद-हाथरस की उन सभी 10 शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में 01 माह के अन्दर अन्तिम निर्णय लिया जाये। उक्त अवमानना याचिका में सुनवाई की तिथि दिनांक-18.09.2015 को उपरोक्त स्थिति से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया था।

6- उक्त अवमानना याचिका संख्या-4521/2015 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-18.09.2015 को आदेश पारित करते हुये याचिका disposed off की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-18.09.2015 को पारित किये गये आदेश का आपरेटिव अंश निम्नवत् हैः-

Taking note of that the contempt application is disposed of by granting six weeks further time to pass appropriate order in the applicants' case as directed by this Court vide order dated 22.1.2014. Sri Sunil Kumar, Principal Secretary Social Welfare Department, U.P.. who is present before the Court, assures that the decision shall be taken within the aforesaid period and the same will be communicated within ten days from the date of passing the order at the address of the College through registered post as well as speed post.

Learned counsel for the applicants is at liberty to approach this Court again in case the opposite party fails to take any decision within the aforesaid period.

7- निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा याची शिक्षण संस्था के साथ अन्य सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को निदेशालय पत्रांक-2282-83, दिनांक-15.09.2015 द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, हाथरस के माध्यम से नोटिस निर्गत करते हुये समिति की बैठक दिनांक-22.09.2013 में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। उक्त के क्रम में जनपद-हाथरस की सभी 10 शिक्षण संस्थाओं में से मात्र 01 शिक्षण संस्था के0जी0एन0डिग्री कालेज सिकन्दरा राऊ के प्रधानाचार्य समिति के समक्ष उपस्थित हुये। उनके द्वारा यह बताया गया कि शिक्षण संस्था में उनकी नवीन तैनाती है इस विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। संस्था के प्रधानाचार्य ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक-21.09.2015 द्वारा 16 छात्रों के शपथपत्र, परीक्षा के प्रथम वर्ष में उपस्थित होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिसे समिति द्वारा विचारोपरान्त स्वीकार्य नहीं पाया गया।

8- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-18.09.2015 के परिप्रेक्ष्य में निदेशालय की समिति द्वारा जिलाधिकारी, हाथरस के पत्र दिनांक-02.08.2011 द्वारा पूर्व में विभाग को उपलब्ध करायी गयी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एवं शिक्षण संस्थाओं के उत्तर/अभिकथन का परीक्षण किया गया। समिति द्वारा यह पाया गया कि जिलाधिकारी, हाथरस के पत्र दिनांक-02.08.2011 के संलग्न उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी, सिकन्दरा राऊ, हाथरस की आख्या में याची शिक्षण संस्था लौंगश्री देवी पी0जी0 कालेज, हाथरस द्वारा वर्ष 2008-09, 2009-10 व वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य जाति के छात्रों से कोई शुल्क न लिये जाने का उल्लेख है। जिलाधिकारी, हाथरस ने अपनी उक्त रिर्पोट में उपजिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी की उक्त आख्या को सरसरी तौर पर किये जाने का उल्लेख करते हुये प्रकरण की किसी स्वतंत्र जांच एजेन्सी से जाँच कराये जाने की संस्तुति की गयी थी। जिसके क्रम में शासन द्वारा जनपद-हाथरस की उक्त सभी शिक्षण संस्थाओं की आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन से जांच करायी जा रही है। अतएव जनपद-हाथरस की उक्त सभी 10 शिक्षण संस्थाओं के विरूद्ध आर्थिक अपराध संगठन की जांच प्रचलित होने के दृष्टिगत निदेशालय, समाज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कल्याण की समिति द्वारा आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन की जांच आख्या प्राप्त होने तक याची शिक्षण संस्था श्रीमती लौंगश्री देवी पी0जी0 कालेज, नगला, हाथरस को 'ब्लैक लिस्ट' से पृथक किये जाने की संस्तुति की गयी है।

9- अतएव मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-18.09.2015 के अनुपालन में निदेशालय, समाज कल्याण की समिति की संस्तुति के क्रम में याची शिक्षण संस्था श्रीमती लौंगश्री देवी पी0जी0 कालेज नगला, हाथरस को 'ब्लैक लिस्ट' से मुक्त किया जाता है। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन की जांच आख्या प्राप्त होने पर यथासमय नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या-111/2015/3315(1)/26-3-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1--मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उक्त याचिका संख्या-218/2014 में पारित आदेश दिनांक-22.01.2014 एवं अवमानना याचिका संख्या-4521/2015 में पारित आदेश दि0-18.09.2015 के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त से मा0न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2-निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/उच्च शिक्षा/तकनीकि शिक्षा।
3-जिलाधिकारी, हाथरस।
4-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।
5-जिला समाज कल्याण अधिकारी, हाथरस।
6-श्रीलौंग श्रीदेवी महाविद्यालय, नगलाआल,हाथरस एवं सम्बन्धित अन्य शिक्षण संस्था।
7-गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।